रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 507] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2015/श्रावण 23, 1937
No. 507] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2015/SRAVANA 23, 1937

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2015

सा.का.नि.632 (अ).- केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9ग की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) तथा धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास नियम, 2015 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं**—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,--

(क) **"अधिनियम"** से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) अभिप्रेत है ;

(ख) **"अध्यक्ष, कार्यपालक समिति"** से अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास की कार्यपालक समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) **"अध्यक्ष, शासी निकाय"** से अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास के शासी निकाय का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) **"कार्यपालक समिति"** से न्यास की कार्यपालक समिति अभिप्रेत है ;

(ङ) **"निधि"** से नियम 6 में निर्दिष्ट निधि अभिप्रेत है ;

(च) **"शासी निकाय"** से न्यास का शासी निकाय अभिप्रेत है ;

(छ) **"सदस्य, कार्यपालक समिति"** से कार्यपालक समिति का सदस्य अभिप्रेत है ;

(ज) **"सदस्य, शासी निकाय"** से शासी निकाय का सदस्य अभिप्रेत है ;

(झ) **"सुस्पष्ट भू-गर्भीय संभावना क्षेत्र"** से भारत के भू-गर्भीय सर्वेक्षण द्वारा समय-समय-पर पहचान किया गया क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(ञ) **"न्यास"** से अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास अभिप्रेत है।

(2) शब्द और पद, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है।

3. शासी निकाय और कार्यपालक समिति के कृत्य—(1) शासी निकाय, न्यास द्वारा कार्य करने के लिए वृहत्त नीति ढांचे को अधिकथित करेगी और उसके कार्यकरण का पुनर्विलोकन करेगी।

(2) शासी निकाय, कार्यपालक समिति की सिफारिशों पर न्यास की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट का अनुमोदन करेगा और यह वर्ष में कम से कम एक बैठक करेगा।

(3) कार्यपालक समिति न्यास का प्रबंध, प्रशासन और पर्यवेक्षण करेगी तथा नियमित अंतरालों पर न्यास निधि के व्यय की मानीटरी और पुनर्विलोकन भी करेगी।

(4) कार्यपालक समिति अपने कृत्यों का निर्वहन करते हुए नीति ढांचे का और समय-समय पर शासी निकाय द्वारा दिए गए निदेशों का अनुसरण करेगी।

(5) कार्यपालक समिति का अध्यक्ष किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि में फेरफार कर सकेगा या उसकी पदावधि के पूरा होने से पूर्व उसे कार्यपालक समिति से हटा सकेगा।

4. शासी निकाय की सदस्यता—(1) शासी निकाय के सदस्य पदेन सदस्य होंगे।

(2) शासी निकाय के विशेष आमंत्रिती, यदि कोई हों, ऐसी बैठक फीस, यात्रा व्यय और जेब से किए गए खर्च के हकदार होंगे, जैसा शासी निकाय विनिश्चय करे।

5. कार्यपालक समिति की सदस्यता—(1) पदेन सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य, जिसके अंतर्गत विशेष आमंत्रिती हैं, को मत देने का अधिकार नहीं होगा, किंतु वे ऐसी बैठक फीस, यात्रा व्यय और जेब से किए गए खर्च के हकदार होंगे, जैसा शासी निकाय विनिश्चय करे।

6. न्यास के अधीन निधि का गठन—(1) केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा "राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास निधि" के नाम से ज्ञात न्यास के अधीन एक निधि स्थापित करेगी, जिसका प्रबंधन न्यास की कार्यपालक समिति द्वारा किया जाएगा।

(2) न्यास निधि नियम 8 के उपबंधों के अनुसार संदाय करने के लिए धन प्राप्त करेगी और यह ऐसे अन्य स्रोतों से, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाएं, अंशदान भी प्राप्त करेगी।

7. न्यास निधि में अंशदान—(1) न्यास को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट किसी अधिसूचित बैंक में अपने स्वयं के नाम से बैंक खाते खोलने और प्रचालित करने की शक्ति होगी।

(2) न्यास अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (4) के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित संदायों के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को अपने बैंक खाते की विशिष्टियों से संसूचित करेगा।

(3) खनन पट्टे और पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे के धारक न्यास निधि को अंशदान के लिए राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (4) के अधीन संदेय रकम का स्वामिस्व के संदाय के साथ संदाय करेंगे।

(4) राज्य सरकार ऐसे संदायों से एकत्रित रकम को न्यास के बैंक खाते में जमा करेगी।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट जमा को यथाशीघ्र किंतु किसी भी दशा में उस मास, जिसकी बाबत किसी विशिष्ट मास में रकम एकत्रित की गई है, के पश्चातवर्ती मास के दस दिन से पूर्व जमा किया जाएगा।

(6) इस प्रकार एकत्रित रकम को एकत्रित करने और न्यास निधि में जमा करने तथा केंद्रीय सरकार के साथ लेखाओं को बांटने के लिए, अपेक्षित लेखाओं का अनुरक्षण करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा।

(7) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 9ग की उपधारा (4) के अनुसरण में संदत्त रकमों और भारतीय खान ब्यूरों को स्वामिस्व के संदाय की बाबत सूचना मासिक आधार पर उपलब्ध कराएगी।

(8) भारतीय खान ब्यूरो न्यास के बैंक खाते में अंतरित धन का अद्यतन अभिलेख को रखने के साथ स्वामिस्व संदायों के डाटा बेस का अनुरक्षण करेगा तथा न्यास को आवधिक आधार पर ऐसी सूचना उपलब्ध कराएगा।

8. कार्यालय और बैंक खाता—(1) न्यास का कार्यालय, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली-110001 या ऐसे अन्य स्थान पर, जो कार्यपालक समिति द्वारा विनिश्चित किया जाएं, होगा ।

(2) न्यास के बैंक खाते को सदस्य सचिव या कार्यपालक समिति के किसी अन्य सदस्य या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जैसा कार्यपालक समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाए, के माध्यम से खोला और प्रचालित किया जाएगा ।

9. न्यास के उद्देश्य और कृत्य—(1) न्यास खनिजों के लिए प्रादेशिक और विस्तृत खोज करेगा तथा यह ऐसे कार्यकलाप हाथ में लेगा जैसा शासी निकाय द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे जाएं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं,--

(क) विशेष अध्ययनों और परियोजनाओं का वित्तपोषण करना, जो गहरे या छिपे हुए खनिज भंडारों की पहचान, खोज, निकालने, धातु शोधन और परिष्करण के लिए डिजाइन की गई हैं ;

(ख) खनिज विकास, उन्नत, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय पद्धतियों तथा खनिज निकासी, धातु विज्ञान के लिए भरणीय खनन को अंगीकार करने के लिए अध्ययन हाथ में लेना ;

(ग) प्रादेशिक और विस्तृत खोज के लिए क्षेत्रों को पूर्विकता देते हुए विशिष्टता सामरिक और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को हाथ में लेना ;

(घ) न्यास द्वारा खोज के लिए पूर्विकताओं का विनिश्चय करने के लिए केंद्रीय भू-गर्भीय कार्यक्रम बोर्ड से परामर्श करना ;

(ङ) ऐसी रीति में खोज कार्यकलापों को सुकर बनाना, जिससे खोजे गए क्षेत्रों को अधिनियम और उसके तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार खनिज छूटों को अनुदत्त करने के लिए हाथ में लिया जा सके ;

(च) स्पष्ट भू-गर्भीय संभावना क्षेत्रों (जी3) में ब्राउन फील्ड प्रादेशिक खोज परियोजनाओं को पूरा करने को सुकर बनाना, जिसके अंतर्गत आधुनिक प्रौद्योगिकीयों के माध्यम से गहरे खनिज भंडारों की उच्च जोखिम खोज संचालित करना है ;

(छ) संपूर्ण भारत में उन क्षेत्रों में, जहां जी3 स्तर की खोज पूरी कर ली गई है, विस्तृत खोज (जी2 या जी1) को पूरा करने का संवर्धन करना ;

(ज) भू-भौतिकीय, भू और हवाई सर्वेक्षण और स्पष्ट भू-गर्भीय संभावना क्षेत्रों के सर्वेक्षण और शेष भारत के सर्वेक्षण को सुकर करना ;

(झ) पृथ्वी विज्ञान और खनिज पूर्वेक्षण के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कोर निक्षेपागार को सुकर बनाना ;

(ञ) खोज में लगे हुए या लगने वाले कार्मिकों की तकनीकी सक्षमता को बढ़ाने के लिए सक्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करना ; और

(ट) न्यास निधि का ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करना, जैसा शासी निकाय विनिश्चय करे, या कार्यपालक समिति को भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण, विकास और खोज के हित में समीचीन या आवश्यक के लिए कार्यपालक समिति को प्राधिकृत करना, जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए शासी निकाय कार्मिकों को नियोजित कर सकेगा या भाडे पर ले सकेगा, संपत्ति, जिसके अंतर्गत बौद्धिक संपदा है, का स्वामी हो सकेगा या उसका निपटान कर सकेगा, प्रशासनिक व्यय उपगत कर सकेगा और दस्तावेजों का निष्पादन कर सकेगा, जैसा अपेक्षित हो ।

10. न्यास का प्रबंधन—(1) न्यास का समग्र नियंत्रण, आवधिक पुनर्विलोकन और नीति निदेश शासी निकाय में विहित होंगे ।

(2) कार्यपालक समिति न्यास के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों का प्रबंध, प्रशासन और पर्यवेक्षण करेगी ।

(3) शासी निकाय कार्यपालक समिति को उपनियम (1) में यथावर्णित अपनी किसी या सभी शक्तियों का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।

(4) कार्यपालक समिति वित्तीय शक्तियों के प्रत्योजन के लिए स्कीम की विरचना करेगी और उसे अंतिम रूप देगी ।

11. समितियां—(1) कार्यपालक समिति ऐसे कार्यों में हाथ में लेने के लिए, जो कार्यपालक समिति द्वारा समिति या समितियों को सौंपे जाएं या प्रत्यायोजित किए जाएं, के लिए समिति या उप समितियों का गठन कर सकेगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन गठित समिति या उप समिति इन नियमों के अधीन कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के निर्वहन करने के लिए तथा ऐसी शक्तियों और कृत्यों का पालन करने के लिए, जैसा कार्यपालक समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, स्वयं की प्रक्रिया बनाएगी ।